प्रकरण संख्या 74/2023 श्रीमती भगवती बनाम हीरालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भागुताई में आराजी नंबर 2150, 2051, 2152, 2157, 1882, 1885, 2153, 2154, 2155, 2156, 2159, 2160, 2176/4921, 2181 कुल किता 14 रकबा 1.4250 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार मौजा साकरोदा में आराजी नंबर 1963 रकबा 0.0250 एवं मौजा तलामंगरी में आराजी नंबर 1133 से 1143, 1243, 1244, 1251, 1252 कुल किता 15 रकबा 1.5050 हैक्टर भूमि स्थित है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सजरा खानदान वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर मूल पुरूष भोपा जी थे, जिसके 4 पुत्र रूपा, केरिंग, नगा व प्रताप हुए। वादिया रूपा की पुत्री होकर उसका 1/4 हिस्सा है एवं इसी अनुसार उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। अतः वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2009 को वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28.02.2010 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.09.2023 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8, 16 व 17 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द लखारा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 को यह भली भांति ज्ञात था कि अपीलान्ट सन् 2006 से बतौर खातेदार काबिज है, इसके बावजूद उसे पक्षकार बनाये बिना डिक्री प्राप्त कर ली, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार फरवरी 2023 को तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 आराजी नंबर 1140 व अन्य आराजियात को बेचान की जानकारी होने पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.10.19 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested

नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने बताया कि अपील करीब 13 वर्ष 7 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो माफी योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट ने डिले कण्डोन कराने हेतु कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.09.2023 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 28.04.2010 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब 13½ वर्ष का विलम्ब हुआ है एवं इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन कराने हेतु जो कारण अपीलान्ट ने अपने मयाद प्रार्थना पत्र में दर्शाये हैं, वह विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं तथा इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 द्वारा जो दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उसके अनुसार स्वयं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधज्ञाा के प्रार्थना पत्र में जो दिनांक 19.01.2021 को प्रस्तुत किया गया है, उसमें स्वयं अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2010 का हवाला दिया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दिनांक 19.01.2021 को तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हो चुकी थी, फिर भी उसके द्वारा अपील दिनांक 27.09.2023 को अर्थात उक्त स्पष्ट जानकारी दिनांक 19.01.2021 के 2 वर्ष 8 माह बाद प्रस्तुत की गयी है, जो किसी भी स्थिति में माफी योग्य नहीं है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested

कीर्ति राठौड़)
भ[illegible]बन्ध अधिकारी
एव[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested